



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37 | नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 1973/साघ 7, 1894

No. 37 | NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 1973/MAGHA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1973

S.O. 74-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th day of January, 1973 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

The area comprised within the limits of Mehboba-nagar Municipality and the villages of Boyepalli and Yengonda whose boundaries are specified as under :—

North : By	1. Zainalipur 2. Yerravalli
South : By	1. Alipur 2. Dharmapur 3. Tatikonda
East : By	1. Palkonda 2. Amistapur 3. Yedira
West : By	1. Chinnadarpalli 2. Venkatapur.

[No. S-38013/16/72-HI]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1973

का० प्रा० 45(अ)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जनवरी, 1973 के 28 वें दिन को उक्त वारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4(धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध ब्राम्ह प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

मेहबूबनगर नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर समाविष्ट क्षेत्र और बोये पाल्ली तथा येनगोंडा ग्राम, जिनकी परिसीमायें निम्न रूप से निर्दिष्ट की जाती हैं —

- | | |
|--------------------|--------------------|
| उत्तर : परिसीमा : | 1. जैनालीपुर |
| | 2. येरावाल्ली |
| दक्षिण : परिसीमा : | 1. अलिपुर |
| | 2. धमपुर |
| | 3. टाटी कोण्डा |
| पूरु : परिसीमा : | 1. पालकोण्डा |
| | 2. धमिस्तापुर |
| | 3. येदिरा |
| पश्चिम : परिसीमा : | 1. चिन्नादागवाल्ली |
| | 2. बेंकटापुर |

[संख्या एम-38013 (16)/72-एच० आई०]

डी० एम० रिपि, संयुक्त सचिव ।